मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र प्रवृत्तियां यह सुझाती हैं कि चिकित्सीय बहुलवाद जिसमें भारतीय परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां महत्वपूर्ण घटकों का योगदान दे सकती हैं स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य का निर्माण करेंगी। एकलता से बहुलता की ओर होने वाला यह बदलाव इसलिए हो रहा है, क्योंकि यह अधिकाधिक रूप से स्पष्ट होता जा रहा है कि स्वास्थ्य विज्ञान के किसी अकेले साधन में समाज की सभी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए समाधानों में योगदान देने की क्षमता नहीं है। भारत किंचित लाभकारी स्थिति में है और वह चिकित्सीय बहुलता के इस युग में एक विश्व नेता बन सकता है। साक्ष्य–आधारित जैव–चिकित्सीय विज्ञानों का एक ठोस आधार होने के साथ–साथ क्योंकि इसके पास स्वयं अपना एक अत्यंत समृद्ध और जटिल स्वदेशी चिकित्सीय विरासत मौजूद है। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय में आयुष विभाग की स्थापना सहित देश के भीतर परंपरागत चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक पहलें हाथ में ली हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया है और साथ ही सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीपीटी तथा डीएसटी जैसी एसएनटी एजेंसियों में सहयोगात्मक कार्यक्रमों का सृजन किया है। इस बल को गति देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने संबंधित क्षेत्रों में बहुविध हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया और साथ ही शोधकर्ताओं, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के एक कार्यकारी दल का गठन भी किया। परंपरागत चिकित्सा की ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने की कार्यनीतियों पर आयोग की सिफारिशें निम्न हैं:

1. **परंपरागत चिकित्सा शिक्षा को बदलनाः** देश के भीतर परंपरागत चिकित्सा में शिक्षा का स्तर और उसकी सुलभता में तात्कालिक सुधार लाए जाने की जरूरत है। देश में संप्रति लगभग 25000 छात्रों को दाखिला देने वाले 450 असंतोषपूर्ण स्तर के कालेज (अवर–स्नातक तथा स्नातकोत्तर) हैं। ये कालेज चिकित्सीय बहुलता के उभरते युग में छात्रों को नेतृत्व भूमिकाएं निभाने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं। इस कमी का प्रमुख कारण यह है कि परंपरागत चिकित्सा में परंपरागत चिकित्सीय प्रणाली साधनों को साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोणों के साथ जोड़ने के लिए जरूरी रूपांतरकारी उत्प्रेरक नहीं हैं। इसके फलस्वरूप इस तरह की शिक्षा अलग–थलग पड़ गई है और मुख्यधारा की साक्ष्य–आधारित चिकित्सा शिक्षा के साथ इसके बहुलतावादी समाकलन की कमी रही है जोकि, यदि भारतीय परंपरागत चिकित्सादाय यदि वैश्विक चिकित्सीय बहुलतावाद में सही स्थान पाना चाहता है, तो जरूरी है।

   यह सिफारिश की जाती है कि मौजूदा शैक्षिक रूपरेखा में संभवतः आईआईएससी, आईआईटी, एम्स जैसे उन्नत संस्थानों के माध्यम से तदनुरूपी वित्तीय परिव्ययों सहित साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोण लागू करने की दिशा में प्रयास किया जाए।

2. **परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों पर अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण करें:** परंपरागत चिकित्सा में अनुसंधान और विकास में निवेश इष्टतम से कम तथा छितरे हुए रहे हैं, जिसके फलस्वरूप परंपरागत चिकित्सा प्रणाली (टीएचएस) की प्रभाविता से संबंधित साक्ष्य की कमी रही है। इसके अलावा इस तरह के प्रयास अक्सर कठोर साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोणों की कमी से ग्रस्त रहे हैं। साथ ही चिकित्सीय बहुलता के विचारों के लिए जो सामाजिक सोच और प्रतिक्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं उनकी कोटि को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को जिस भूमिका का निर्वाह करना चाहिए उसके महत्व को भी कम आंका गया है। इन कमियों की ओर ध्यान देने के लिए देश के विभिन्न भागों में उपयुक्त संस्थानगत और प्रोत्साहन तंत्रों सहित विश्वस्तरीय अनुसंधान कार्यक्रमों का एक नेटवर्क स्थापित किए जाने की तत्काल जरूरत है। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह फार्मा को–जिनोमिक्स, प्रतिरक्षा विज्ञान, औषधि आविष्कार और हृदय विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रकृति, रसायन अथवा रस जैसे परंपरागत विचारों की कल्पनात्मक जांच के माध्यम से चिकित्सा की दुनिया में मौलिक, कठोर साक्ष्य–आधारित योगदान प्रदान करे।

3. **औषधिकोष मानकों का सुदृढ़ीकरण करें:** चिकित्सीय पौधों के व्यापक प्रलेखन के बावजूद भारत के विभिन्न जैव–भौगोलिक क्षेत्रों के लिए चिकित्सीय पौधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य औषधिकोषों और साथ ही पारिस्थिकीय प्रणाली विशिष्ट, क्षेत्रीय औषधिकोषों का सृजन किए जाने की जरूरत है।

4. **नैदानिक परीक्षणों और प्रमाणन की गुणवत्ता और मात्रा का संवर्द्धन करें:** प्रभाविता को लेकर परंपरागत चिकित्सीय दावों का समर्थन करने अथवा उन्हें नकारने के उद्देश्य से परंपरागत चिकित्सा को कठोर किंतु संवेदी ढंग से तैयार किए गए नैदानिक परीक्षण की गुणवत्ता में संवर्द्धन के साथ–साथ चलना है। साथ ही विश्व वैज्ञानिक डाटा/सुरक्षा अध्ययनों की कमी के कारण परंपरागत दवाइयों की जोखिम रूपरेखा का आकलन

करना कठिन हो जाता है। इस तरह के मूल्यांकनों और परीक्षणों के लिए अपेक्षतया अधिक संस्थानगत समर्थन की जरूरत है। इसके साथ–साथ एक विश्वस्तरीय प्रमाणन प्रक्रिया भी होनी चाहिए जोकि उत्तम उत्पादन, प्रयोगशाला, नैदानिक, कृषि और संग्रह परिपाटियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों की प्राप्ति में सहायक होगी। वैश्विक बाजार के लिए 10 सर्वोत्तम टीएचएस उत्पादों का पूर्व नैदानिक तथा नैदानिक प्रभाविता वैधीकरण और मानकीकरण को एक लैगशिप परियोजना के रूप में समर्थित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार इस तरह के सफल उत्पादों के निर्माण में लगे हुए यूनिटों का अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन किया जाना चाहिए।

5. **परंपरागत ज्ञान का डिजिटिकरण करें:** एक व्यापक परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) के सृजन करने का जो काम चल रहा है, उसका वैविध्यकरण और विस्तार किया जाना चाहिए। भारत की चिकित्सीय पांडुलिपियों (भारत के भीतर और विदेशों में स्थित) के डिजिटिकरण तथा इस डिजिटल पुस्तकालय को भारत में शिक्षण और संस्थानों के लिए सुलभ बनाए जाने के निमित्त एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। परंपरागत चिकित्सीय साहित्य की विशाल अक्षयनिधि में से डाटा अन्वेषण का आधुनिकीकरण करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक समन्वित "परंपरागत ज्ञान सूचना विज्ञान कार्यक्रम" का सृजन किया जाना चाहिए जिससे कि उपलब्ध पौधा सामग्री–मेडिका (2000 जातियां), उनके उत्पादों (40000 फार्मुलेशन) तथा नैदानिक प्रयोगों (5000 स्थितियां) की एक व्यापक सूची का सृजन किया जा सके।

6. **बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक उपयुक्त तंत्र का सृजन करें:** परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान के स्रोतों के संरक्षण के लिए देश के भीतर उपयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकार तंत्र का सृजन करने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ परंपरागत दवाइयों के वाणिज्यीकरण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पेटेंट आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई करते समय अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरणों तथा अन्य पेटेंट कार्यालयों की न्यूनतम खोज प्रलेखन सूचियों में सूचना के सभी प्रमुख स्रोतों सहित टीकेडीएल के प्रयोग और समोवशन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह जरूरी है कि टीकेडीएल में परंपरागत ज्ञान के लिए "स्वामित्व" के मुद्दे संबंधी स्पष्टता की कमी की ओर ध्यान दिया जाए। यह विशेष रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के ज्ञान के मूल स्रोत आमतौर पर सुविधावंचित समुदाय होते हैं। ऐसी आईपीआर प्रणालियां सृजित किए जाने की जरूरत है, जोकि यह सुनिश्चित करे कि इस तरह का ज्ञान सार्वजनिक क्षेत्र में बना रहे और उसे भौगोलिक संकेतकों (जीआई) जैसे तंत्रों के माध्यम से उद्गम समुदायों के लिए "सुरक्षित" रखा जा सके।

परंपरागत दवाइयों के वाणिज्यिक प्रसार के प्रति दृष्टिकोण यह रहेगा कि कंपनियों को समुचित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करने और इस शर्त के अध्यधीन टीकेडीएल सुलभ कराया जाए कि टीकेडीएल से उत्पन्न होने वाले आविष्कार की रायल्टी में हिस्सेदारी जरूरी होगी। सरकार और जिन समुदायों को ज्ञान के स्रोतों के रूप में अभिज्ञात किया गया है उनके बीच प्रयोक्ता शुल्क और रायल्टी––दोनों की भागीदारी होनी चाहिए और इस तरह के विभाजन को शासित करने के लिए नवाचारी प्रविधियां ढूंढ़नी होंगी। टीकेडीएल के वाणिज्यीकरण तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अन्य सहक्रियात्मक पहलों से सरकार द्वारा सृजित आय का प्रयोग एक "परंपरागत ज्ञान विकास निधि" सृजित करने के लिए किया जाएगा और इससे प्राप्त होने वाली रकमों का प्रयोग परंपरागत ज्ञान के संरक्षण, साक्ष्य–आधारित विश्लेषण और अनुसंधान के लिए तथा जिन समुदायों ने परंपरागत ज्ञान के सृजन में योगदान दिया है उनके लाभ के लिए किया जाएगा।

7. **प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लक्ष्य स्थापित करें:** अनुमान है कि फसल काटने के असंधारणीय तरीकों और खेती की कमी के साथ–साथ अवक्रमण तथा बस्तियों के समाप्त हो जाने के कारण संभावित चिकित्सीय पौधों की 6000 प्रजातियों में से संप्रति लगभग 12 प्रतिशत प्राकृतिक पौधों को खतरा बना हुआ है। काश्तकारी की कमी की समस्या के फलस्वरूप भी और अधिक जाली सामग्री के बाजार में आ जाने का खतरा बन जाता है। अतः वानिकी क्षेत्र में संरक्षण और संधारणीय फसल प्रयासों और कृषि क्षेत्र में खेती को समर्थन दिए जाने की जरूरत है। इन पौधा स्रोतों के पोषण के लिए संरक्षण और खेती के लिए प्रत्यक्ष समर्थन और साथ ही प्रोत्साहन नीतियों के साथ ही परोक्ष तरीके अपनाए जाने चाहिए। देश के 10 जैव–भौगोलिक क्षेत्रों के आरपार 300 "वन्य जीन बैंक" का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारत के चिकित्सीय पौधों का वन्य जीन पूल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8. **टीएचएस के प्रोत्साहन के लिए गैर–सरकारी समर्थन और निगमित पहलें:** परंपरागत स्वास्थ्य विज्ञानों की सार्वजनिक छवि का निर्माण करने में गैर–सरकारी और निजी क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। गैर–सरकारी संस्थान और शिक्षा संस्थानों, एनजीओ और वैश्विक दृष्टि से युक्त निगमित कार्यालयों को भारत के समृद्ध स्वास्थ्य प्रणाली दाय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता के संवर्द्धन के हित में सामरिक रूप से समर्थित किया जाना चाहिए।

9. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दें:** परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली की खोज के लिए विख्यात अनुसंधान केन्द्रों के साथ सामरिक अनुसंधान सहयोग तथा देशों में कल्याण केन्द्रों की स्थापना जोकि उदीयमान बाजार अवसरों की पेशकश करते हैं जैसी ठोस पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भारी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन उत्पादों और सेवाओं के लिए विश्व बाजार खोलने के वास्ते भारत के एग्जिम बैंक को उद्योग के साथ काम करने में समर्थन दिया जाना चाहिए।

10. **ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करें:** समुचित राज्य प्राथमिक देखभाल की अनुपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत की 70 प्रतिशत आबादी परंपरागत चिकित्सा पर निर्भर रहती है और इस कारण इस अनौपचारिक क्षेत्र के प्रयोग के लिए साक्ष्य–आधारित दिशानिर्देश स्थापित करना जरूरी है। ग्रामीण समुदायों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों का समर्थन करने के लिए ऐसे पौधों और दवाइयों के लिए, जिनकी प्रभाविता साक्ष्य–आधारित अनुसंधान द्वारा प्रमाणित हो चुकी है, गृह जड़ी–बूटी वाटिका और सामुदायिक जड़ी–बूटी वाटिका (सीएचजी) का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क निर्मित किया जाना चाहिए।

11. **भारतीय परंपरागत औषधि की एक प्रमुख री–ब्रांडिंग प्रक्रिया का सृजन करें:** सुनिर्मित नैदानिक परीक्षणों में प्रमाणित भारतीय परंपरागत औषधियों की बेहतर ब्रांडिंग से सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इस तरह की प्रमाणित औषधियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अंग बनाया जाना चाहिए। इस तरह के साक्ष्य–आधारित, सु–वैधीकृत और अनूठे तौर पर भारतीय समग्र स्वास्थ्य प्रणाली मिश्रणों को व्यापक रूप से वैश्विक बाजारों में लाया जाना चाहिए।

इन लक्ष्यों को यथासंभव शीघ्र और प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए भारत सरकार परंपरागत स्वास्थ्य ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन (एमएमटीएचके) स्थापित करने पर विचार कर सकती है जोकि एक संगठित ढंग से इन कार्यों को हाथ में लेगा। स्वयं अपने आधारिक–तंत्र सहित यह अपेक्षतया एक छोटा निकाय होगा जिसके पास अभिज्ञात क्षेत्रों में लक्षित वित्तपोषण की सिफारिश करने के अधिकार होंगे। इसे राज्य और स्थानीय स्तरों सहित अनेक विभिन्न स्तरों पर पहलों का समर्थन करना चाहिए और स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वानिकी, कृषि तथा वाणिज्य मंत्रालयों और साथ ही एनजीओ और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। मिशन का नेतृत्व अनिवार्यतः एक ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसकी उच्च सार्वजनिक साख हो और जिसके पास सभी हितधारकों से निपटने के लिए प्रमाणित प्रबंधकीय क्षमताएं और अनुभव के साथ–साथ इस क्षेत्र में गहरा ज्ञान और अनुभव उपलब्ध हो।